बिहार विधान सभा सचिवालय

कनीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु सीमित प्रतियोगिता परीक्षा

सामान्य अनुदेश

1. बिहार विधान सभा सचिवालय अन्तर्गत कनीय लिपिक के कुल 06 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन दिनांक 27.06.2023 को 11:00 बजे पूर्वा० से 01:00 बजे अप० तक सभा सचिवालय में निर्धारित है। इसके लिए दिनाक 09.06.2023 को प्रकाशित सूचना के आलोक में इच्छुक आवेदकों से विहित प्रपत्र में दिनांक 23.06.2023 को 03:00 बजे अप० तक आवेदन लिये जायेंगे। आवेदन के साथ आवेदको को एक फोटोग्राफ (पासपोर्ट साइज) के अतिरिक्त किसी प्रकार का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है।
2. आवेदको को यह सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने एवं परीक्षा में उपस्थित होने से पहले स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि वे पात्रता की समस्त शर्त्तों को पूरा करते हैं। अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पूर्णतः अन्तरिम (Provisional) है। यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पात्रता की किसी शर्त्त को पूरा नहीं करते हैं एवं परीक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं तो भी उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा।
3. सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता एवं आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों तथा अन्य वांछित कागजात का सत्यापन नियुक्ति के पूर्व किया जायेगा, जिसके लिए अलग से तिथि निर्धारित होने पर सूचना प्रकाशित की जायेगी। सत्यापन के समय अभ्यर्थी के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र/कागजात रहना अनिवार्य है –
   i. मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र (मूल प्रति)
   ii. इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र (मूल प्रति)
   iii. आरक्षित वर्ग के लिए
   - अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए –
     A. जाति प्रमाण पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र)
     B. स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र
   - अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए:–
     a) जाति प्रमाण पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र)
     b) स्थायी निवास प्रमाण पत्र
     c) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र

     अत्यत पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।
   - सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आय एवं परिसम्पति प्रमाण–पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसूची–1(प्रपत्र–1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए।

   आवेदन पत्र में जिस आरक्षण कोटि का दावा किया गया है उसी आरक्षण कोटि के प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
4. परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी और कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जायेगा। प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर प्रश्न के नीचे दिये जायेंगे, जिनमे से उत्तर के लिए केवल एक विकल्प का चयन करेंगे। उत्तर को चिन्हित करने के लिए केवल काली/नीली स्याही के बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। किसी भी प्रकार का काट–कूट अथवा परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
5. अभ्यर्थी उक्त परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र दिनांक 26.06.2023 को 03:00 बजे अप० से नियुक्ति कोषांग से प्राप्त करेंगे।

ह०/- 21.6.23

अवर सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।